कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती उर्मिला बारहठ, प्रधानाचार्य, राउमावि रामसागर, देवली जिला टोंक, को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, वार्ड नम्बर 4, जयपुर सिटी, जयपुर एवं श्रीमती ओम कंवर राठोड, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, वार्ड नं. 4, जयपुर सिटी जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालर बावडी, बडोलिया जिला चित्तोडगढ स्थानान्तरित किया गया था।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में कार्यरत प्रधानाचार्य श्रीमती ओम कंवर के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से एस.बी.सिविल याचिका संख्या 25435/2018 में अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त होने के फलस्वरूप उक्त विद्यालय में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः श्रीमती ओम कंवर राठौड, माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम, वार्ड नम्बर 4, जयपुर सिटी जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रहेंगी एवं श्रीमती उर्मिला बारहठ, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हारिया, भिनाय जिला अजमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/ओम कंवर/याचिका/25435/2018 दिनांक 21.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित कार्मिकों/प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)